रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11072022-237230
CG-DL-W-11072022-237230

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, जुलाई 3— जुलाई 9, 2022, शनिवार/ आषाढ़ 12— आषाढ़ 18, 1944
No. 17] NEW DELHI, JULY 3—JULY 9, 2022, SATURDAY/ASADHA 12–ASADHA 18, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 2022

का.नि.आ. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम, 2011 और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ए' पद) भर्ती नियम 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, (प्रशासनिक सहायक 'ख' और प्रशासनिक सहायक 'क') के पदों पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय भर्ती की पद्धति का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासनिक सहायक 'ख' और प्रशासनिक सहायक 'क' (श्रेणी 'ग' पद,) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं - उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया हो या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. प्रशासनिक सहायक 'ख'	496* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100 रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200रु.) में ऐसा प्रशासनिक सहायक 'क' जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।" **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिनके पास निम्नलिखित	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—** 1. इलैक्ट्रॉनिक तथा रडार विकास स्थापना के निदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन —अध्यक्ष 2. ऐसे दो अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड II अथवा समतुल्य अधिकरी की पंक्ति से कम के न हो जिन्हें किसी भी भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से नाम निर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य 3. ऐसे अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड I या वैज्ञानिक 'सी' की पंक्ति से कम के न हो जो किसी भी घटक स्थापना अथवा प्रयोगशाला से संबंधित न हो अथवा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय के समतुल्य स्तर के अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पोन्नति की सीधे पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारण तथा तीन वर्ग से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. प्रशासनिक सहायक 'क'	511* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900- 63200 रु.)

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए साधारण अभ्यर्तियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके	**आवश्यक अर्हताएं:** (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक:—

	पैंतालिस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आववेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(क) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति या (ख) हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। अनुज्ञान समय-दस मिनट (प्रत्येक शब्दों के लिए पांच की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रति घंटा अथवा 9000 की डिप्रैशन प्रति घंटा के अनुरूप पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट)।

(8)	(9)	(10)
हां, स्तंभ (11) के अधीन उपदर्शित सीमा तक	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। **टिप्पणी:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परीवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	(क) 85 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा ; (ख) 15% प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (i) विभागीय परीक्षा के माध्यम से 10% प्रतिशत पोन्नति द्वारा (ii) समूह 'ग' कर्मचारी में से चयन के आधार पर 5% प्रतिशत पोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रु.) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृंद से विभागीय परीक्षा के माध्यम से दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भार्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता। **टिप्पणी 1:** परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष तक है।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसके निम्नलिखित होंगे:—** 1. इलैक्ट्रॉनिक तथा रडार विकास स्थापना के निदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन —अध्यक्ष 2. एसे दो अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड II अथवा समतुल्य अधाकरी की पंक्ति से कम के न हो जिन्हे किसी भी भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से नाम निर्दिष्ट किए जाएं -सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पणी 2: यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, तो कर्मचारियों की इस बड़ी संख्या को आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए। (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे समूह ग कर्मचारी में से चयन के आधार पर पांच प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"	3. ऐसे अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड I या वैज्ञानिक 'सी' की पंक्ति से कम के न हो जो किसी भी घटक स्थापना अथवा प्रयोगशाला से संबंधित न हे अथवा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय के समतुल्य स्तर के अधिकारी - सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति पुष्टीकरण विचारार्थ) जिसमें निम्नांकित होंगेः—** 1. इलैक्ट्रॉनिक तथा रडार विकास स्थापना के निदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन —अध्यक्ष 2. एसे दो अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II या ज्येष्ठ भंडार अधिकारी ग्रेड II अथवा समतुल्य अधाकरी की पंक्ति से कम के न हो जिन्हे किसी भी भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से नाम निर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य 3. ऐसे अधिकारी जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड I या वैज्ञानिक 'सी' की पंक्ति से कम के न हो जो किसी भी घटक स्थापना अथवा प्रयोगशाला से संबंधित न हो अथवा जो रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय के समतुल्य स्तर के अधिकारी - सदस्य।	

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआरएस/प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/03 (i)/634/डी (आर एवं डी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd June, 2022

S.R.O. 39.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C'

(Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, and the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Group 'C' (Administrative Assistant 'A' Post) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Administrative Assistant 'B' and Administrative Assistant 'A' in the Department of Defence Research and Development, Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Assistant 'B' and Administrative Assistant 'A' (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Administrative Assistant 'B'.	496* (2022) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (25500-81100).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	100 per cent. by promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Administrative Assistant 'A' in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years' regular service rendered in the grade. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government,— (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience as under,— (i) Bachelor's degree from a recognised University. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Director of Electronic and Radar Development Establishment, Defence Research and Development Organisation - Chairman 2. Two officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer to be nominated from any of the participating Laboratories or Establishments -Member 3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory or an equivalent level officer from Defence Research and Development Organisation Headquarter - Member.	Not applicable.

another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Administrative Assistant 'A'.	511* (2022) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential qualifications:** (1) 12^{th} class pass from a recognised Board. (2) Skill test norms on Computer.— (a) English typing @ thirty five words per minute on computer or (b) Hindi typing @ thirty words per minute on computer Time allowed: ten minutes. (thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word).

(8)	(9)	(10)
Yes, to the extent indicated under column (11)	Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(a) Eighty five per cent. by direct recruitment; (b) Fifteen per cent. by promotion,— (i) Ten per cent. by promotion through Departmental examination; (ii) Five per cent. by promotion on the basis of selection basis from amongst Group 'C' employee.

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Ten per cent by promotion through Departmental examination from Group 'C' staff in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility of examination is forty-five years in the case of general candidates and fifty years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes. **Note 2:** If more of such employees than the available number of vacancies qualifies in the departmental examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) Five per cent. by promotion on the basis of selection basis from amongst Group 'C' employee in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years regular service in the grade and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7). **Note :** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Director of Electronic and Radar Development Establishment, Defence Research and Development Organisation - Chairman 2. Two officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer to be nominated from any of the participating Laboratories or Establishments -Member 3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories or an equivalent level officer from Defence Research and Development Organisation Headquarter - Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director of Electronic and Radar Development Establishment, Defence Research and Development Organisation - Chairman 2. Two officers not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or Senior Store Officer Grade II or equivalent officer to be nominated from any of the participating Laboratories or Establishments -Member 3. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories or an equivalent level officer from Defence Research and Development Organisation Headquater - Member.	Not applicable.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Cadre/C/P/03 (i)/634/D (R&D)]

HARSHA RANI Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 2022

का.नि.आ. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 को जहां तक उसका संबंध ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का पहले लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I	45* (2022) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67700- 208700 रु.)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है।	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स स्तर -10 में (56100-177500 रु.) ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी मान्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—** 1. महानिदेशक, मानव संसाधन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (अनुसंधान और विकास) अथवा निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय या निदेशक अथवा उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास), रक्षा मंत्रालय -सदस्य 3. निदेशक, कार्मिक अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव है, (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री ; (ii) प्रशासन या स्थापना अथवा लेखा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरएस/प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/03 (ii)/632/डी (आर एवं डी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd June, 2022

S.R.O. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2012, in so far as it relates to the post of Senior Administrative Officer Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer Grade-I in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Administrative Officer Grade-I (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Administrative Officer Grade-I.	45* (2022)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	100 percent by promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists; what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Administrative Officer Grade-II in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management or any other recognised training institute. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or the Union territory Administration, (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, (i) Bachelors degree from a recognised University or institution; (ii) Five years experience in administration or establishment or accounts work. **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who	**Group'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Director General Human Resource, Defence Research and Development Organisation – Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Research and Development) or Director, Armed Forces Headquarter Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Adviser, Integrated Finance (Research and Development), Ministry of Defence - Member 3. Director of Personnel or Director of Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 4:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadre/C/P/03 (ii)/632/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 2022

का.नि.आ. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, प्रशासनिक समूह 'क' और 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II के पद से संबंधित हैं, का अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से पहले लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-II पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- II (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- II	145* (2022) *(कार्य भार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100 रु.- 177500)

चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारण की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।	**आवश्यक** :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री । (ii) किसी प्रशासन या स्थापना या लेखा संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **वांछनीय** : **टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति (i) द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाए।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर -7 में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिसने ग्रेड में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने कार्मिक प्रतिभा तथा प्रबंधन केन्द्र अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर लिया हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	**I. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित होंगे:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. महानिदेशक (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन -सदस्य 3. निदेशक, कार्मिक निदेशालय या मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन - सदस्य 4. निदेशक अथवा उप सचिव (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान तथा विकास) - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा लोक क्षेत्रक उपक्रम अथवा स्वायत्त संगठन अथवा सांविधिक निकाय अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रु.) अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**II. समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित होंगे।** 1. महानिदेशक (मानव संसाधन), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन - अध्यक्ष 2. कार्मिक निदेशालय अथवा निदेशक, मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन - सदस्य 3. निदेशक अथवा उप सचिव (अनुसंधान तथा विकास), रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय अथवा निदेशक अथवा उप वित्तीय सलाहकार, एकीकृत वित्त (अनुसंधान तथा विकास) - सदस्य	

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरएस/प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/03/633/डी (आर एवं डी)

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd June, 2022

S.R.O. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Administrative Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012, in so far as they relate to the post of Senior Administrative Officer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer Grade-II in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Administrative Officer Grade-II (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Administrative Officer Grade-II.	145* (2022)* subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-10 in pay matrix (Rs.56100-177500).

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:-** (i) Bachelors degree from a recognised University or institution. (ii) Three years experience of administration or establishment or accounts work. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Desirable:** **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) seventy-five percent. by promotion failing which by deputation. (ii) twenty-five percent. by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption , grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Administrative Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent Cadre or Department and having successfully completed two or four weeks mandatory training in the relevant area from Centre for Personnel Talent and Management	**I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Director General (Human Resource), Defence Research and Development Organisation -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

or any other recognised training institute. **Note:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territory or public sector undertaking or autonomous organisation or statutory body or recognised University or research institution,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this	3. Director of Personnel or Director, Human Resource Development, Defence Research and Development Organisation - Member 4. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Joint Director, Armed Forces Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development) -Member **II. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** 1. Director General (Human Resource), Defence Research and Development Organisation -Chairman; 2. Director of Personnel or Director, Human Resource Development, Defence Research and Development organisation -Member; 3. Director or Deputy Secretary (Research and Development), Ministry of Defence or Director or Joint Director, Armed Forces Headquarters Civil Service, Ministry of Defence or Director or Deputy Financial Advisor, Integrated Finance (Research and Development) -Member.	

appointment the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadre/C/P/03/633/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

का.नि.आ. 42.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पदों की भर्ती नियम, 2013 को जहां तक उसका संबंध संयुक्त निदेशक एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी के पदों से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पद भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद का नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	08* (2022) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –13 (123100रु.- 215900 रु.)

क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रु.) में स्तर-12 में ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिसने ग्रेड में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, कि परंतु उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,	**प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (जिसमें शामिल होंगी):—** 1. संघ लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष) का -अध्यक्ष/सदस्य 2. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय (सदस्य) 3. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय में संयुक्त सचिव अथवा वैज्ञानिक 'जी' अथवा सशस्त्र सेना मुख्यालय, सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय (सदस्य) का मुख्य निदेशक	प्रतिनियुक्ति द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी क (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करना: या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में स्तर-12 (78800-209200) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव है:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; (ii) जिनके पास प्रशासन, स्थापना अथवा लेखा संबंधी मामले में 12 वर्ष का अनुभव है। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएचआरडी/16342/आरआरएस/प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/03 (iii)/655/ डी (आर एवं डी)]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 4, सं. का.नि.आ. 53. तारीख 8 जुलाई 2013 में प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 28th June, 2022

S.R.O. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administrative) and Chief Administrative Officer Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Joint Director and Chief Administrative Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Administrative posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Joint Director (Administration) Post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Name of the post, number, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Joint Director (Administration).	08* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial.	Level-13 in the pay matrix. (Rs.123100-215900)

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists; what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12	(13)
Promotion: Chief Administrative Officer in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade and having successfully completed at least 2 weeks training in the field as prescribed by the department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territories, (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:-	**Departmental Promotion Committee for considering the promotion (consisting of):-** 1. Chairman/Member of Union Public Service Commission -Chairman 2. Director General, Defence Research and Development Organisation Headquarter -Member 3. Joint Secretary or Scientist 'G' in Defence Research and Development Organisation Headquarter or Principal Director of Armed Forces Headquarter, Civil Service, Ministry of Defence -Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

(i) degree from a recognised University or Institution; (ii) twelve years experience in administration, establishment or Accounts matters. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DHRD/16342/RRs/Admin Cadre/C/P/03 (iii)/655/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

Foot Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 Vide number S.R.O. 53, dated the 8th July 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR